प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 205 / 2001

ओ.के. राजगोपालन

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश उद्घोषणा हेतु दिनांक 22 जून, 2001 को सूचीबद्ध करे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक 205/2001

आवेदकगण: 1. ओ.के. राजगोपालन

2. श्री पी.एस. नायर

(मृत एवं विलोपित)

बनाम

अनावेदकगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य

2. श्री के.ए. रविन्द्रनाथन

(आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सहपठित धारा 482 के अंतर्गत)

उपस्थित:

श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री पी.एस. कोशी एवं श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता, आवेदक क्रमांक 1 की ओर से।

आवेदक क्रमांक 2 का निधन हो चुका है।

सुश्री संगीता मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य/अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से।

श्री वी.जी. तमास्कर, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से।

एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

आदेश

(दिनांक 22 जून, 2012 को पारित)

1. इस पुनरीक्षण द्वारा, आवेदक ने दिनांक 1-3-2001 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 144/2001 में पारित आदेश की वैधता और विधिसम्मतता को चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने आवेदक तथा मृत श्री पी.एस. नायर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 420, 467 एवं 471 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही प्रारंभ की है।

2. अनावेदक क्रमांक 2/शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, अनावेदक क्रमांक 2 भारतीय कॉफी वर्कर्स सहकारी समिति लिमिटेड जबलपुर (आईसीडब्ल्यूसीएस), जबलपुर (पंजीकरण क्रमांक 1485) का सदस्य है, जिसका प्रधान कार्यालय 592, मालवीय मार्ग, जबलपुर में स्थित है, और वह भारतीय कॉफी हाउस, इस्पात भवन, भिलाई नगर, तहसील एवं जिला दुर्ग में वरिष्ठ महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ था। आवेदक क्रमांक 1 और मृत श्री पी.एस. नायर उक्त समिति के पदाधिकारी थे। आवेदक क्रमांक 1 समिति का मानद सचिव था, जिसने समिति की वार्षिक रिपोर्टें महासभा की बैठकों में प्रस्तुत की थीं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि समिति का नागपुर और दुर्ग में "इंडियन कॉफी हाउस" नाम से कोई शाखा नहीं थी, चाहे वह एनटीपीसी, नागपुर में हो अथवा पद्मनाभपुर, दुर्ग में। आवेदक क्रमांक 1, जो समिति का मानद सचिव था, ने एनटीपीसी, नागपुर और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पद्मनाभपुर, दुर्ग के साथ अवैध समझौता किया और दोनों कॉफी हाउसों से भारी धनराशि प्राप्त की, जिसे उसने समिति के खातों में प्रदर्शित नहीं किया और इस प्रकार धोखाधड़ी और जालसाजी कर आपराधिक रूप से उसका दुरुपयोग किया। दोनों आवेदक भारतीय कॉफी हाउस, दुर्ग और भारतीय कॉफी हाउस, नागपुर से प्राप्त राशि और लाभों का हिसाब आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर के खातों में देने के लिए उत्तरदायी थे। उक्त आधार पर,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनावेदक क्रमांक 2 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की और न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन पुलिस को भेजा। दुर्ग पुलिस ने आवेदकों के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और तत्पश्चात गवाहों अर्थात् अनावेदक क्रमांक 2 और एम.ए. चंद्रभानपुर के बयान दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के अंतर्गत दर्ज किए गए और आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

3. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सूने, आक्षेपित आदेश की प्रति, गवाहों के बयान की प्रतियां, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन, अनावेदक क्रमांक 2 का प्रत्युत्तर तथा दिनांक 30-4-2001 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1771/2001 में पारित आदेश का अवलोकन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. आवेदक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में आक्षेपित आदेश को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 1771/2001 में चुनौती दी गई थी और दिनांक 30-4-2001 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित दिया कि आंशिक वाद-कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग की क्षेत्राधिकार सीमा में उत्पन्न हुई है और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् याचिकाकर्ता (इसमे) को यह स्वतंत्रता है कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त कार्यवाही प्रस्तुत कर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश को चुनौती दे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि निश्चित रूप से दुर्ग की क्षेत्राधिकार सीमा में स्थित न्यायालय को विवाद सुनने का अधिकार है और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् इस न्यायालय को भी कार्यवाही सुनने का अधिकार है। अतः आवेदक इस न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत करने से वंचित नहीं हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर, जिसका पंजीकृत कार्यालय जबलपुर में है, एक पंजीकृत

समिति है और यह मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। उक्त समिति को तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य की क्षेत्राधिकार सीमा से बाहर अपनी शाखा स्थापित करने का अधिकार नहीं था। अतः समिति नागपुर अर्थात महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्राधिकार सीमा में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् समिति दुर्ग में भी अपनी शाखा बढ़ाने/खोलने के लिए सक्षम नहीं थी। आवेदक और मृत श्री पी.एस. नायर उक्त समिति के पदाधिकारी थे, किन्तु वे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में "इंडियन कॉफी हाउस" नाम से कोई व्यवसाय खोलने से वंचित नहीं थे। शिकायत से यह स्पष्ट होता है कि यह उनका अवैध/निजी अनुबंध था। अतः वे उक्त दो कॉफी हाउसों की आय और व्यय का हिसाब समिति के खातों में देने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। जाँच के पश्चात् पुलिस ने नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने दो गवाहों के बयान दर्ज किए जिन्होंने विशेष रूप से कहा कि आवेदकों ने नए व्यवसाय/शाखाओं को समिति के व्यवसाय में नहीं दिखाया। अनावेदक क्रमांक 2 कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा जिससे यह सिद्ध हो कि इंडियन कॉफी हाउस, दुर्ग और इंडियन कॉफी हाउस, नागपुर, जबलपुर समिति अथवा आईसीडब्ल्यूसीएस की शाखाएँ या विस्तार थे। तथापि, अपराध का संज्ञान लेना और किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करना मात्र औपचारिकता नहीं है, यह एक गंभीर कार्य है और इसलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व पर्याप्त सामग्री आवश्यक है, विशेषकर निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक अपमान और निराधार अभियोजन से बचाने के लिए। प्रारंभिक दृष्टया मामला दिखाने हेतु अनावेदक क्रमांक 2 का यह दायित्व था कि वह सामग्री प्रस्तुत करे जिससे यह सिद्ध हो कि इंडियन कॉफी हाउस, पद्मनाभपुर, दुर्ग और इंडियन कॉफी हाउस, नागपुर, आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर की विधिवत गठित शाखाएँ थीं और आवेदकों ने धोखाधड़ी, जालसाजी और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समिति के धन का आपराधिक दुरुपयोग किया। अतः आवेदकगण के विरुद्ध प्रक्रिया जारी कर अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधता की है।

5. राज्य/अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता ने पुनरीक्षण का विरोध किया और निवेदन किया कि आवेदकों को उपयुक्त आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6. अनावेदक क्रमांक 2/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने पुनरीक्षण का तीव्र विरोध किया और निवेदन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के अंतर्गत विधिवत जाँच के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध नोटिस जारी की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र, यदि खंडन नहीं किया जाता, तो आवेदकों के दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त होगी। नोटिस जारी करने के चरण में न्यायालय को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों को उसके प्रत्यक्ष रूप में देखना होता है, साक्ष्य/प्रपत्रों की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक नहीं होती, यहाँ तक कि यदि गंभीर/मजबूत संदेह हो कि आवेदक/अभियुक्त ने अपराध किया है, तो भी उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त है। आवेदकों को अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। आवेदक भारतीय कॉफी हाउस, दुर्ग और भारतीय कॉफी हाउस, नागपुर की आय और व्यय का हिसाब आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर के खातों में देने के लिए बाध्य थे, किन्तु उन्होंने न केवल ऐसा करने में असफलता पाई बल्कि यह तथ्य भी छिपाया कि उन्होंने समिति की दो शाखाएँ नागपुर और दुर्ग में खोली हैं। आवेदकों ने पूर्ववर्ती वाद-विवाद, अर्थात् रिट याचिका क्रमांक 1771/2001, जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में लंबित थी, को भी छुपाया। अनावेदक क्रमांक 2 प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करने में सफल हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों के विरुद्ध विधिवत कार्यावाही जारी की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. अनावेदक क्रमांक 2 के अधिवक्ता ने **ए.वी. मुरथी बनाम बी.एस. नागबसवन्ना**[1] के मामले पर अवलबं लिया है , जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलबं लिया है लिया है कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत ऋण या देयता के अस्तित्वहीन होने का बचाव अभियुक्त द्वारा केवल विचारण न्यायालय के समक्ष ही उठाई जा सकती है, अतः पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर कार्यवाही को अभिखंडित नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **राजमाता विजया राजे सिंधिया बनाम राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य**[2] के मामले पर अवलबं लिया है लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित लिया है कि यदि विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने में त्रुटि हुई है तो उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय कारण बताना आवश्यक है, अन्यथा आपराधिक शिकायत को निरस्त करना उचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **सुबरमणियम सेथुरमन बनाम राज्य महाराष्ट्र एवं अन्य**[3] के मामले पर भी अवलबं लिया है लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का आदेश अभियुक्त द्वारा, अभियुक्त का निवेदन दर्ज होने के बाद, वापस नहीं लिया जा सकता और मजिस्ट्रेट को अपनी नोटिस जारी करने के निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि ऐसा आदेश वापस लेने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध न हो। विद्वान अधिवक्ता ने **अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल एवं अन्य**[4] के मामले पर अवलबं लिया है लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अंतर्गत नोटिस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (2002) 2 एस.सी.सी. 642
[2] (2003) 12 एस.सी.सी. 429
[3] (2004 क्रि.एल.जे. 4609)
[4] (2004 क्रि.एल.जे. 4874)

जारी करने के आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं है और अभियुक्त के लिए उपाय केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उपलब्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **मोहनलाल नंदराम चौधरी बनाम राज्य महाराष्ट्र**[5] तथा **नटवरलाल बनाम राज्य एवं अन्य**[6] के मामलों पर अवलबं लिया है लिया है, जिनमें क्रमशः बॉम्बे उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि यद्यपि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का समान अधिकार है, किन्तु यह उचित है कि आवेदक सत्र न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष जाए। केवल आवेदक द्वारा अपवादिक बताए जाने पर उच्च न्यायालय को सीधे आवेदन स्वीकार करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **प्रो. मंजीनाथ बी.पी. बनाम प्रो. वी.जे. प्याटी एवं अन्य**[7] के मामले का भी अवलबं लिया है लिया गया है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि धारा 204 के अंतर्गत नोटिस जारी करने का आदेश अभियुक्त के अधिकारों को मूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश नहीं है और उसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका ग्राह्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **राकेश सिंह एवं अन्य बनाम राज्य बिहार एवं अन्य**[8] के मामले पर अवलबं लिया है लिया है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अपराध का संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को साक्ष्य का विस्तार से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. के. रविन्द्रन नायर ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1771/2001 दायर किया था और दिनांक 30-4-2001 को पारित आदेश में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह माना कि आंशिक कारण-कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न हुई है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त

5 (2007 क्रि.एल.जे. 4656)

6 (2008 क्रि.एल.जे. 3579)

7 (2009 क्रि.एल.जे. 209)

8 (2009 क्रि.एल.जे. 668)

न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के आलोक में, याचिकाकर्ता (इस मामले में) के लिए यह विकल्प खुला है कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त कार्यवाही प्रस्तुत करे। पैरा 20 का एक भाग, तथा पैरा 21 और 22 इस प्रकार हैं:-

> "20. ....यह आरोप है कि उक्त शाखा का लाभ लेखा-बद्ध नहीं किया गया है। इस तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, मेरा विचार है कि आंशिक वाद-कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग की क्षेत्रीय अधिकारिता में उत्पन्न हुई है और यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।
>
> 21. इस चरण पर मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि जब मामला दूसरी बार सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुआ, तब याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क करने का प्रयास किया कि यदि अंततः यह न्यायालय यह मानता है कि इसे याचिका सुनने का अधिकार है तो इसे विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को आपस्त कर देना चाहिए। बाद में जब यह प्रश्न किया गया कि यदि यह न्यायालय अंततः यह मानता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को भी शिकायत सुनने का अधिकार है तो क्या अधिवक्ता चाहते हैं कि गुण-दोष पर विचार किया जाए। इस चरण पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से यह निवेदन किया कि ऐसी स्थिति में, रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में सक्षम न्यायालय के समक्ष, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए, उचित कार्यवाही दायर करे।
>
> 22. उपर्युक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, और यह मानते हुए कि इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है, मैं आदेश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की वैधता के संबंध में कोई टिप्पणी करने से स्वयं को विरत रखता हूँ; और याचिकाकर्ता को यह छूट देता हूँ कि यदि वह उचित समझे, तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी उपयुक्त न्यायालय के समक्ष इस आदेश को चुनौती दे सकता है।"

9. शिकायत में लगाए गए आरोपों और अध्याय XV दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अनावेदक क्रमांक 2 एवं एक गवाह एम.ए. चंद्रभानपुर के बयानों के अनुसार, आवेदक एवं दिवंगत श्री पी.एस. नायर जबलपुर में पंजीकृत सोसाइटी (आईसीडब्ल्यूसीएस) के पदाधिकारी थे, उन्होंने सोसाइटी की शाखाएँ नागपुर एवं दुर्ग में खोलीं और ऐसी शाखाएँ खोलने के लिए अवैध समझौते किए। उन्होंने उक्त दोनों शाखाओं की आय एवं व्यय का लेखा आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर के खाते में प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. बयान, शिकायत और आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाते कि आवेदक एवं दिवंगत श्री पी.एस. नायर ने उक्त दोनों संस्थानों के साथ आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर के पदाधिकारियों के रूप में कोई समझौता किया था या उक्त सोसाइटी की ओर से कोई समझौता किया था। अनावेदक क्रमांक 2 ने भी ऐसा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि आवेदक स्वतंत्र रूप से इंडियन कॉफी हाउस की कोई शाखा नहीं खोल सकते थे।

11. निश्चित रूप से, नोटिस जारी करना और अपराध का संज्ञान लेना एक गंभीर विषय है और मात्र औपचारिकता नहीं है, यह पक्षकारों के वास्तविक अधिकारों को प्रभावित करता है। अतः संज्ञान लेने और नोटिस जारी करने के समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि अभियोजन/शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त सामग्री एकत्र की है या नहीं।

12. जैसा कि पटना उच्च न्यायालय ने **राकेश सिंह** (पूर्वोक्त) मामले में अवधारित किया कि, संज्ञान लेने के समय मजिस्ट्रेट को विस्तृत साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं।

13. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **ए.वी. मूर्ति** (पूर्वोक्त) मामले में अवधारित किया कि, अभियुक्त का बचाव पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय विचारणीय नहीं होता, बल्कि अभियोजन को अपराध के प्रथमदृष्टया घटित होने को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है।

14. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **राजमाता विजया** (पूर्वोक्त) मामले में अवधारित किया कि, उच्च न्यायालय को यह कारण देना आवश्यक है कि विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने में कहाँ त्रुटि की, जब वह पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक शिकायत को अभिखंडित कर सकता है, लेकिन यह बताते हुए कि अपराध का संज्ञान लेने के समय न्यायालय ने कौन-सी अवैधता की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. मजिस्ट्रेट के आदेश को वापस लेने के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **सुबरमणियम सेथुरमन** (पूर्वोक्त) मामले में अवधारित किया कि किसी प्रावधान के अभाव में मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करने के आदेश को वापस लेने में सक्षम नहीं है और अभियुक्त के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उपाय उपलब्ध है।

16. अदालत प्रसाद (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करने के आदेश को वापस लेने में सक्षम नहीं है। यद्यपि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों को पुनरीक्षण सुनने का समान अधिकार है, लेकिन

निश्चित रूप से, आवेदक को सीधे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ दिखानी आवश्यक हैं।

17. अनावेदक क्रमांक 2 को पूरा अवसर था या अवसर उपलब्ध था कि वह ऐसा समझौता या सामग्री प्रस्तुत करे जिससे यह सिद्ध हो कि आवेदक अपनी आधिकारिक क्षमता के अतिरिक्त कोई शाखा खोलने में सक्षम नहीं थे और कि कथित शाखाएँ आईसीडब्ल्यूसीएस, जबलपुर की ही शाखाएँ थीं। किंतु, अनावेदक क्रमांक 2 संज्ञान लेने के समय न्यायालय के समक्ष ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा।

18. अपराध का संज्ञान लेना और अभियुक्त के विरुद्ध नोटिस जारी करना मात्र औपचारिकता नहीं है, यह एक गंभीर विषय है। संज्ञान लेते समय साक्ष्यों की विस्तृत और सूक्ष्म जाँच आवश्यक नहीं होती। तथापि, शिकायतकर्ता को प्रथमदृष्टया सामग्री उसके प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रस्तुत करनी होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. केवल दो गवाहों के बयान और शिकायत ही आवेदक और मृतक श्री पी.एस. नायर के खिलाफ गंभीर अपराधों का संज्ञान लेने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, अपर्याप्त सामग्री के आधार पर आवेदक और मृतक श्री पी.एस. नायर के खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 409, 420, 467 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने में अधिनस्त न्यायलय ने एक ऐसी अवैधता की है, जिसमें पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

20. फलस्वरूप, यह पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 144/2001 में दिनांक 1-3-2001 को पारित संज्ञान लेने का आदेश अभिखंडित किया जाता है। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग को वापस भेजा जाता है ताकि अनावेदक

क्रमांक 2 को प्रथमदृष्टया पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके और नये सिरे से आदेश पारित किया जावे। अनावेदक क्रमांक 2 दिनांक 30-7-2012 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष उपस्थित रहेगा।

हस्ताक्षरित/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur